

<p><b>National Stock Exchange of India Limited,</b> Listing Department, Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E) <b><u>MUMBAI - 400 051.</u></b> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051</p>	<p><b>Bombay Stock Exchange Limited,</b> Department of Corporate Services, Floor - 25, PJ Towers, Dalal Street, <b><u>MUMBAI - 400 001.</u></b> बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001</p>
--	--

**विषय: ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान निदेशक (वाणिज्यिक) द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की खरीद**

महोदय/ महोदया,

यह दिनांक 29 सितंबर, 2020 और 3 नवंबर, 2020 के हमारे पत्र के संदर्भ में है, जिसमें सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों का निषेध), 2015 [सेबी पीआईटी विनियम] और "पावर फाइनेंस की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिभूतियों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना और आचरण के उचित प्रकटीकरण के लिए आचरण और प्रक्रियाओं की संहिता के अनुरूप" अन्य बातों के साथ-साथ 1 अक्टूबर, 2020 से 14 नवंबर 2020 तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना दी गई ।

इस संबंध में, कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक) श्री प्रवीण कुमार सिंह ने दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 (अनुलग्नक I के रूप में संलग्न) के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो क्लोजर अवधि के दौरान अनजाने में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5,000 इक्विटी शेयर 5 अक्टूबर 2020 को खरीदे हैं ।

उपरोक्त मामले पर 12 नवंबर, 2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में विचार किया गया, जिसमें बोर्ड ने निर्णय लिया कि श्री पी के सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) को उनके द्वारा ट्रेडिंग विंडो के तुरंत बंद करने की अवधि के दौरान 5 अक्टूबर 2020 को खरीदे गए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5,000 इक्विटी शेयरों का, निपटान करना होगा लेकिन 7 दिनों के बाद नहीं और किसी भी कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से उक्त लेनदेन से उत्पन्न होने वाले लाभ, यदि कोई हो, को सेबी को आईईपीएफ को क्रेडिट के लिए भेजने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रेषित किया जाए। श्री पी के सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) को बोर्ड के निर्णय की सूचना देने वाला पत्र **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 23 जुलाई, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार निर्धारित प्रकटीकरण इसके साथ **अनुलग्नक III** के रूप में संलग्न है। श्री पी के सिंह निदेशक (वाणिज्यिक) द्वारा शेयर बेचे जाने और लेनदेन पर अर्जित लाभ, उनके द्वारा कंपनी को हस्तांतरित किए जाने के बाद, सेबी (निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष) को निधि के हस्तांतरण का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

सूचनार्थ प्रस्तुत ।

धन्यवाद,

भवदीय,  
निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(मनोहर बलवानी)  
सीजीएम एवं कंपनी सचिव

प्रतिलिपि :

एन सुनील,  
उप महाप्रबंधक  
ई-मेल: [nsunil@sebi.gov.in](mailto:nsunil@sebi.gov.in)